

न्यायालय— श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक / 2026

अशोकनगर दिनांक 30/06/2026

// विविध आदेश //
जिला मुख्यालय अशोकनगर

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार माह **जुलाई, अगस्त एवं सितंबर — 2026** के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क्र	अधिकारी का नाम	जुलाई	अगस्त	सितंबर
1	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़) जे.एम.एफ.सी.	12	9, 15, 16	27
2	सुश्री सोनल गुप्ता जे.एम.एफ.सी.	4, 5	23, 24	13, 14,
3	सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एफ.सी.	18, 19, 26	—	4, 5, 6
4	श्री शुभम द्विवेदी जे.एम.एफ.सी.	—	1, 2, 28, 30	19, 20

- नोट** 1. मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।
2. यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्यदिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 540 / 2026

अशोकनगर दिनांक 30/06/2026

प्रतिलिपि :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- सुश्री सोनल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्री शुभम द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- सुश्री प्रिया चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड अशोकनगर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- स्टेनो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-अशोकनगर म.प्र.

न्यायालय— श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)०

क्रमांक / 2026

अशोकनगर दिनांक 30/06/2026

// विविध आदेश //
तहसील मुख्यालय मुंगावली

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार माह जुलाई एवं अगस्त -2026 के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क्र.	अधिकारी का नाम	जुलाई	अगस्त
1	श्रीमती पारूल चौकसे जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	4, 5, 12, 18, 19, 26	1, 2, 9, 15, 16, 23, 24, 28, 30

- नोट—** 1. मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।
2. यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्यदिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 541 / 2026

अशोकनगर दिनांक 30/06/2026

प्रतिलिपि :—

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती पारूल चौकसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगावली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- सुश्री, दिव्यांशी मंडरई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगावली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- थाना प्रभारी, थाना मुंगावली, बहादुर एवं पिपरई की ओर सूचनार्थ।
- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ मुंगावली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—अशोकनगर म.प्र.

न्यायालय— श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
क्रमांक/2026 अशोकनगर दिनांक 30/06/2026

// विविध आदेश //
तहसील मुख्यालय चंदेरी

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार माह **जुलाई एवं अगस्त – 2026** के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क्र.	अधिकारी का नाम	जुलाई	अगस्त
1	श्री महेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी.	4, 5, 12	1, 2, 9, 30
2	सुश्री अदिति कैथवास जे.एम.एफ.सी.	18, 19, 26	15, 16, 23, 24, 28

नोट—1. मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।

- यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्य दिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
- यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 542/2026

अशोकनगर दिनांक 30/06/2026

प्रतिलिपि :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री महेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- सुश्री अदिति कैथवास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- थाना प्रभारी, थाना चंदेरी की ओर सूचनार्थ।
- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ चंदेरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—अशोकनगर म.प्र.

न्यायालय— श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
क्रमांक / 2026 अशोकनगर दिनांक 30/06/2026

// विविध आदेश //
तहसील मुख्यालय ईसागढ

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार माह **जुलाई एवं अगस्त -2026** के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क्र.	अधिकारी का नाम	जुलाई	अगस्त
1	श्री अंशुल जैन जे.एम.एफ.सी. ईसागढ	4, 5, 26	1, 2, 9, 30
2.	सुश्री श्वेता आर्य जे.एम.एफ.सी. ईसागढ	12, 18, 19	15, 16, 23, 24, 28

- नोट—**1. मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।
2. यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्य दिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।
4. श्री अंशुल जैन जे.एम.एफ.सी. ईसागढ के उक्त सार्वजनिक अवकाशों में मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य जिला मुख्यालय अशोकनगर पर रिमाण्ड ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 543 / 2026

अशोकनगर दिनांक 30/06/2026

प्रतिलिपि :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री अंशुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ईसागढ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- सुश्री श्वेता आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ईसागढ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- थाना प्रभारी, थाना ईसागढ की ओर सूचनार्थ।

5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ ईसागढ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-अशोकनगर म.प्र.